Disposed
10/3/26

10.3.26

अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। परिवादी अनुपस्थित है। वाद पुकार किया गया। बार-बार पुकारे जाने के बावजूद परिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वाद परिवादी के जाँच साक्ष्य हेतु लम्बित होता चला आ रहा है परन्तु परिवादी एवं जाँच साक्षी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित होते चले आ रहे हैं। परिवादी को जाँच साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर भी दिया गया था इसके बावजूद परिवादी जाँच साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को अब इस वाद में कोई भी अभिरूचि नहीं रह गया है। ऐसी उपरोक्त परिस्थिति में परिवादी के वाद को द० प्र० सं० की धारा 203 के अन्तर्गत परिवादी के अदम पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है। कार्या० अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

अनु० न्या० द०उ०